

Order Sheet (Subsequent)


CNR NUMBER

Number of Case Year

Versus

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief notes
<p>01 / 2024</p> <p>21/10/2024</p>	<p>आज श्रीमान् एव साथ पेशी नारीय 21.10.24</p> <p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अस्थायी निवेदन के तीन बिंदु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णता आदि प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 212 राज. का. अध. अधिनियम 1955 का स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा पूर्व में दिनांक 05.04.2022 को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल बुमर लेकर उक्त नम्बर से कम लेकर वाद तबमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21.10.2024 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे- इजलास सुनाया गया।</p>	<p>Brief notes</p>




सहायक कलेक्टर
 बाप (फरोज़ी)